उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग–1

संख्या13(10)2004/का–1-2012
लखनऊ, 07 दिसम्बर, 2012

दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 की प्रतिलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4–प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।

5–प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

6–सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

7–सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9–मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी।

10–निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।

11–वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

12–महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जे0पी0एन0 द्विवेदी,
उप सचिव।

क्रम-संख्या–248

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 7 दिसम्बर, 2012

अग्रहायण 16, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या 13(10)2004/का–1-2012
लखनऊ, 07 दिसम्बर, 2012

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–41

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग में सांख्यिकीय सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012

भाग–एक सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 कहीं जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्राप्तिति

2–किसी सरकारी विभाग में सांख्यिकीय सेवा में समूह 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ग' के पद समाविष्ट है।

नियमावली की प्रयोज्यता

3–यह नियमावली, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन इस नियमावली के नियम 5 के सुसंगत खण्डों के अधीन यथा परिभाषित अर्थ एवं संख्या अधिकारी/शोध अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकी) और सहायक साख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पदों पर लागू होगी।

होगी।

अध्यारोही प्रभाव

4—यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनायी गयी किसी अन्य नियमावली या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

5—जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूजित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) 'अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकी)' का तात्पर्य सरकारी विभाग के सांख्यिकीय सेवा में अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पदों से है,

(ग) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य यथास्थिति सुसंगत सेवानियमावली या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन, किसी सरकारी विभाग में सांख्यिकीय सेवा के किसी पद पर नियुक्ति करने के लिये सशक्त किसी प्राधिकारी से है ;

(घ) 'सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी)' का तात्पर्य, सरकारी विभाग के सांख्यिकीय सेवा में यथारूप सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पदों से है;

(ङ) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(च) 'आयोग' का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से है;

(छ) 'संविधान' का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;

(ज) 'अर्थ एवं संख्याधिकारी/शोध अधिकारी/सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक निदेशक (सांख्यिकी)' का तात्पर्य यथारूप अर्थ एवं संख्याधिकारी/शोध अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) के पद से है और इसमें किसी सरकारी विभाग में सांख्यिकीय सेवा में समान वेतनमान के सांख्यिकीय सेवा के पद सम्मिलित है;

(झ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(ञ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ट) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों की अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ठ) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ड) 'सेवा' का तात्पर्य किसी सरकारी विभाग में यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावली या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन गठित सांख्यिकीय सेवा से है;

(ढ) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;

(ण) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ

होने वाली बारह मास की अवधि से है ;

भाग–दो संवर्ग

सेवा का संवर्ग

6–(1) किसी सरकारी विभाग में सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जायें, अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी संरचना के अनुसार नीचे दी गयी है।

संरचना

(क) अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग के कुल सदस्य संख्या में से 60 प्रतिशत पदों को सहायक सांख्यिकी अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के वेतन–बैण्ड–2 रु0 9300–34800 एवं ग्रेड–वेतन रु0 4200 में रखा जायेगा ; और

(ख) शेष 40 प्रतिशत पदों के अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के वेतन–बैण्ड–2 रु0 9300–34800 एवं ग्रेड–वेतन रु0 4600 में रखा जायेगा। परन्तु:

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा ; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है, जैसा वह उचित समझे।

भाग–तीन भर्ती

भर्ती के स्रोत

7–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी–

(1) सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी)–आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(2) अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकी)–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(3) अर्थ एवं संख्या अधिकारी/शोध अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक (सांख्यिकी)–

(एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती।

(दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकी) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा :

परन्तु विभाग में एकल पद पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

8–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसरण में और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार अर्हताएं

राष्ट्रीयता

9–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली

जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश–केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो, तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

आयु

10–सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलैण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, किन्तु 40 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

शैक्षिक अर्हताएँ

11–सेवा के विभिन्न पदों की भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएँ होनी आवश्यक है–

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(1) सहायक सांख्यिकी अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी)

(दो) डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर में 'ओ' स्तरीय डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान में कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा।

(तीन) देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान।

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(2) अर्थ एवं सख्या अधिकारी/शोध अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी/ सहायक निदेशक (सांख्यिकी)

या

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सांख्यिकी में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

(दो) देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान।

अधिमानी अर्हता

12–अन्य बात के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'ब' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

चरित्र

13–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सकें। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहित प्रास्थिति

14–सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता

15–किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसी शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि :–

(क) सेवा में किसी राजपत्रित पद की दशा में वह चिकित्सा परिषद् द्वारा कृत परीक्षण को उत्तीर्ण कर लें ;

(ख) सेवा में अन्य पदों की दशा में वह वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड 2 भाग 3 के अध्याय तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–पांच भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारण

16–नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ–साथ नियम–8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियाँ उसको सूचित की जायेगी।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

17–(1) चयन के विचारार्थ आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आमन्त्रित किये जायेंगे।

(2) आयोग, नियम–8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये आमन्त्रित करेगा, जो अपेक्षित अर्हताएँ पूरी करते हों, जैसे वह उचित समझे।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें, तो अभ्यर्थियों के नामों को आयोग की सामान्य नीति के अनुसार व्यवस्थित किया जायेगा। आयोग, नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगा।

आयोग के माध्यम

18–पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर,

समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी। — से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

19–(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जायेगी।

टिप्पणी–चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये नाम निर्देशन, समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उसकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची

20–यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधे भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायं तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

21–(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 17, 18, 19 या 20 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी–भर्ती और पदोन्नति द्वारा की जानी हो तो वहां नियमित नियुक्ति तब तक नहीं की जायेगी जब तक दोनों स्त्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम–20 के अनुसार एक संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, उसी ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति, चयन में अवधारित किया गया हो, या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया हो, यदि नियुक्तियां सीधी–भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो नामों को नियम–20 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखे जायें।

परिवीक्षा

22–(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त प्राधिकारी ऐसे कारणो से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा

जब तक अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया गया है, या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

23–(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम–5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

24–सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात वेतन इत्यादि

वेतनमान

25–(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं–

पद का नाम	वेतनमान	
(1) सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/ सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी)	वेतन बैण्ड–2 (रु0 9300–34800)	रु0 4200
(2) अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकी)	वेतन बैण्ड–2 (रु0 9300–34800)	रु0 4600
(3) अर्थ एवं संख्याधिकारी/शोध अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	वेतन बैण्ड–3 (रु0 15600–39100)	रु0 5400

परिवीक्षा अवधि में वेतन

26–(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और जहां विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय

वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकारी बढायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

27–किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

28–ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

29–जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति

30–इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिसका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
जे0 पी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13(10)2004/Ka-1-2012, dated December 7, 2012 :

No.13(10)2004/Ka-1-2012

Dated Lucknow, December 7, 2012

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Government Department Statistical Service.

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT DEPARTMENT STATISTICAL SERVICE RULES, 2012

PART-I

General

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Government Department Statistical Service Rules, 2012.

(2) They shall come into force at once.

Status of the Service

2. The Statistical Service in a Government Department comprises Group 'B' (Gazetted) and Group 'C' posts.

Application of these rules

3. These rules shall apply to the posts of Economic and Statistics Officer/ Research Officer /Statistics Officer Assistant Director (Statistics), Additional Statistical Officer / Additional Research Officer (Statistics) and Assistant Statistical Officer /Assistant Research Officer (Statistics), as defined under relevant clauses of rule 5 of these rules, under the rule making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution.

Overriding effect

4. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, or orders, for the time being in force.

Definitions

5. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:

(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

(b) 'Additional Statistical Officer /Additional Research Officer (Statistics)' means the posts of Additional Statistical Officer /Additional Research Officer (Statistics) as such in the Statistical Service in a Government department;

(c) 'Appointing Authority' means an authority empowered to make appointment to a post of the Statistical Service in a Government department, under relevant service rules or executive instructions, as the case may be;

(d) 'Assistant Statistical Officer/Assistant Research Officer (Statistics)' means the posts of Assistant Statistical Officer/Assistant Research Officer (Statistics) as such in the Statistical Service in a Government department;

(e) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(f) 'Commission' means the Uttar Pradesh Public Service Commission;

(g) 'Constitution' means the Constitution of India;

(h) 'Economic and Statistics Officer/Research Officer/Statistics Officer/Assistant Director (Statistics)' means the posts of Economic and Statistics Officer/Research Officer/Statistics Officer/Assistant Director (Statistics)' as such and includes a post carrying the same pay scale in the Statistical Service in a Government department;

(i) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(j) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(k) 'member of the service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(l) 'other backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time;

(m) 'service' means the Statistical Service in a Government department, constituted under relevant service rules or executive instructions, as the case may be;

(n) 'substantive appointment' means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(o) 'year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

PART-II

Cadre

Cadre of service

6. (1) The strength of the service and of each category of posts therein in a Government department shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the subordinate statistical cadre and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule(1),be in accordance with the structure given below:

Structure:

(a) Out of total strength of the Subordinate Statistical Cadre 60% posts shall be placed in the Pay Band-2, Rs. 9300-34800 and Grade Pay of Rs. 4200 of Assistant Statistical Officer/Assistant Research Officer (Statistics); and

(b) The remaining 40% posts shall be placed in the Pay Band-2, Rs. 9300-34800 and Grade Pay Rs. 4600 of Additional Statistical Officer/ Additional Research Officer (Statistics):

Provided that :–

(i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART-III

Recruitment

Source of recruitment

7. "Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:

(1) Assistant Statistical Officer / Assistant Research Officer (Statistics) – By direct recruitment through the Commission.

(2) Additional Statistical Officer/ Additional Research Officer (Statistics) -- By promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Assistant Statistical Officers /Assistant Research Officers (Statistics) who have completed two years service as such on the first day of the year of recruitment.

(3) Economic and Statistics Officer / Research Officer/ Statistics Officer / Assistant Director (Statistics) -

(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission.

(ii) Fifty percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Additional Statistical Officers / Additional Research Officers (Statistics) who have completed two years service as such on the first day of the year of recruitment :

Provided that single post in the department shall be filled by promotion.

Reservation

8. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act, and the Uttar Pradesh Public Services(Reservation For Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART-IV

Qualification

Nationality

9. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be–

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State' Government:

Provided further that a candidate belonging to category(b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh:

Provided also that if a candidate belongs to category(c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be' subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Age

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of twenty one years and must not have attained the age of more than thirty five years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission :

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Academic qualification

11. A candidate for direct recruitment to the various posts in the service must possess the following qualifications:

(i) Post-graduate degree in Mathematics or Mathematical Statistics or Commerce or Economics or Statistics from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto.

Assistant Statistical Officer/ Assistant Research Officer (Statistics)

(ii) 'O' Level Diploma in Computer awarded by D.O.E.A.C.C.Society or at least one year Diploma in Computer Science from any recognised University/Institution.

(iii) Knowledge of Hindi in Devnagri Script.

2. (i) Post-graduate degree in Mathematics or Mathematical Statistics or Commerce or Economics or Statistics with at least fifty five percent marks from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto,

Economic and Statistics officer
Research Officer/Statistics Officer/Assistant Director (Statistics)

Or

Two years Post-graduate diploma in Statistics from an Institute recognised by the Government.

(ii) Knowledge of Hindi in Devnagri Script.

Preferential qualification

12. A candidate who has:—

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Character

13. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE - Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

14. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness

15. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required:

(a) In the case of a Gazetted post in the service, to pass an examination by a Medical Board;

(b) In the case of other posts in the service to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, Part-III:

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART-V

Procedure for Recruitment

Determination of vacancies

16. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 8. The vacancies to be filled through the Commission shall be intimated to them.

Procedure for direct recruitment

17. (1) Application for being considered for selection shall be called by the Commission in the form published in the advertisement issued by the Commission.

(2) The Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 8, call for interview such number of candidates, who fulfil the requisite qualifications, as they consider proper.

(3) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the names of the candidates shall be arranged in accordance with the general policy of the Commission. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

Procedure for recruitment by promotion through the Commission

18. Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended from time to time.

Procedure for recruitment by promotion through the Departmental Selection Committee

19.(1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules , 1994, as amended from time to time through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts Outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992 as amended from time to time

NOTE - Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Act, as amended from time to time.

(2) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986 , as amended from time to time, and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other records, pertaining to them , as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub-rule (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

Combined select list

20. If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

PART -VI

Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

Appointment

21.(1)Subject to the provisions of sub-rule (2), the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 17, 18, 19 or 20 as the case may be.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 20.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of anyone selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the order, referred to in rule 20.

Probation

22.(1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose service are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

23.(1) Subject to the provisions of sub-rule(2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if —

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory,

(b) his integrity is certified, and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation' Rules, 1991 'confirmation is not necessary, the order under sub rule(3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation, shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority

24. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART -VII

Pay etc.

Scales of Pay

25.(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules are given as follows:

Name of post	Scale of Pay	
	Pay Band	Grade Pay
(1) Assistant Statistical Officer/ Assistant Research Officer (Statistics)	Pay Band-2 (Rs. 9300-34800)	Rs.4200
(2) Additional Statistical Officer/Additional Research Officer (Statistics)	Pay Band-2 (Rs. 9300-34800)	Rs.4600
(3) Economic and Statistics Officer/Research Officer/Statistics Officer/Assistant Director (Statistics)	Pay Band-3 (Rs. 15600-39100	Rs.5400

Pay during probation

26.(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time-scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART-VIII

Other Provisions

Canvassing

27. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

28. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service

29. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the condition of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

Savings

30. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,
J.P. SHARMA,
Pramukh Sachiv

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 657 राजपत्र (हि०)–2012–(3027)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 23 सा० नियुक्ति–2012–(3028)–4,000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।